रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 1976/फाल्गुन 20, 1897
No. 12] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 1976/PHALGUNA 20, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1976

का० नि० आ० 18(अ).—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 25 अप्रैल, 1976 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को शिलांग छावनी के वार्ड नं० III और IV में साधारण निर्वाचन किए जायेंगे।

[फाइल सं० 29/1/सी०/एल० एंड सी०/75/719-सी/डी०/ (क्यू० एण्ड सी०)

एम० एल० दवे, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March 1976

S.R.O. 18(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 25th April, 1976 as the date on which elections in Ward Nos. III and IV in Shilong Cantonment shall be held.

[No. F. 29/1/C/L&C/75/719-C/D (Q&C)]

M. L. DAVE, Jt. Secy.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW [illegible] AND PUB[illegible] BY THE CONT[illegible]